न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 20ए/2019

प्रार्थीः–

1. मोहनसिंह राठौड़ पुत्र भैरूसिंह जी जाति राजपुत निवासी बजरंग नगर वार्ड नम्बर 10 पाली तहसील व जिला पाली (राज.)

बनाम अप्रार्थीगणः–

1. चिमनसिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति राजपुत निवासी मकान नम्बर 345 बजरंग नगर वार्ड नम्बर 21, पाली (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये भुमिधारी तहसीलदार पाली।

उपस्थितिः–

1. श्री एम.एल वर्मा, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:निर्णयः– दिनांक 28.02.2020

1- प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के विरूद्ध अप्रार्थी द्वारा एक वाद श्रीमानके न्यायालय के पूर्व मे पेश किया जा चुका है जिसके मुकदमा नम्बर 45/2016 है जो वर्तमान मे तलबी व जवाब मे चल रहा है। उक्त वाद बंटवाड़ा के संबंध मे किया गया है जो वाद विचाराधीन है। वाद वादी द्वारा अप्रार्थी प्रार्थी के विरूद्ध वाद बंटवाड़ा के संबंध मे पेश किया गया है जो मौजा गांव सोवणीया आर.आई. सर्कल खैरवा के खसरा नंबर 48/3 रकबा 45 बीघा किस्म बारानी दोयम उक्त प्रार्थना पत्र की विषय वस्तु है। उक्त कृषि भूमि पर बंटवाड़ा आज दिन तक नहीं हुआ है सुविधा अनुसार कृषि करते है परन्तु उक्त भूमि आधी मुख्य सड़क पर आई हुई है व आधी भुमि सड़क से दुर हैं इस कारण से सड़क पर स्थित भुमि हड़पने की नियम से यह वाद पेश किया गया है जिसका जवाब प्रार्थी द्वारा दिया जा चुका हैं व इसके साथ मे नक्शा भी पेश किया जा चुका है। उक्त नक्शे के अनुसार बंटवाड़ा किया जावे तो प्रार्थी को कोई आपत्ति नही है परन्तु अप्रार्थीगण अपने बाहुबल व राजनीतिक दबाव प्रभाव की वजह से सड़क की भुमि हड़पने की नियत से वहा पर जमीन को खुर्द बुर्द कर रहा है तथा अप्रार्थी कुआ व टियुबवेल खुदाने पर तुला हुआ है तथा मकान बनाने पर तुला हुआ है इस कारण से उसे बिना बंटवाड़ा किये वादग्रस्त भुमि पर किसी प्रकार से निर्माण करने, खुर्द करने, कुआ खोदने टियुब वेल लगाने से अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा रोकना आवश्यक है अन्यथा बंटवाड़े पश्चात् सह खह खातेदारो के बीच मे विवाद होगा ओर वाद बाहुल्यता बढ़ेगी ओर प्रार्थी व सह खातेदार अपने हक हकुक से वंचित रह जायेंगे। इस कारण से उसे अस्थाई निषेधाज्ञा से रोकना विधि अनुसार आवश्यक है इस कारण से यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा हैं। दिनांक 03.04.2019 को अप्रार्थी ने प्रार्थी को धमकी दी कि मैं वादग्रस्त भुमि पर मकान बनाउंगा व कुआ खोदुंगा व धोरापाली लगाउंगा एवं जमीन को बेचाण करूंगा। जिस पर प्रार्थी ने कहा कि सड़क पर जमीन सबकी आती है उस पर किसी प्रकार के बिना बंटवाड़ा बेचाण नही करे, न ही खुर्द बुर्द करे न ही किसी प्रकार का निर्माण करें परन्तु अप्रार्थी ने हठधर्मिता से कहा कि मैं नवरात्री के अंदर काम करूंगा तेरे से जो हो वो कर लेना चाहे आप कुछ भी कर लो मैं कुआ, टियुबवेल खोदुंगा व निर्माण करूंगा या जमीन बेच दुंगा। इस कारण से उक्त जमीन के स्पेशिक भाग को नही बेचा जावे न ही उक्त वादग्रस्त भुमि पर निर्माण नही करे, कुआ व टियुबवेल नही खोदे व जमीन खुर्द बुर्द नही करे इस कारण से अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है। प्रार्थी उक्त कृषि

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

भुमि मे खातेदार है व उक्त पैतृक सम्पत्ति है जिसमे उसका हक अधिकार है ओर बिना बंटवाड़े किये ही उक्त जमीन को बेचान व वादग्रस्त भुमि को खुर्द बुर्द नही करे व निर्माण नही किया जावे अन्यथा प्रार्थी के हक अधिकारों पर कुठाराघात पहुचेगा। जिसकी विधि मान्यता नही देती है इस कारण से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे हैं व सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे है क्योंकि वादग्रस्त कृषि भुमि पर प्रार्थी लम्बे समय से काश्त कर रहा है एवं उसका कब्जा है इस कारण से अप्रार्थी हस्तक्षेप नही करे अगर उक्त भुमि बेचाण कर दी गई तो प्रार्थी के कब्जे मे हस्तक्षेप होगा। जिससे प्रार्थी अपने हक अधिकारों से वंचित रहेगा। इस कारण सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष मे है अगर प्रार्थी की खातेदारी भुमि व कब्जासुदा भुमि मे अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्क्षेप किया गया तो प्रार्थी के अधिकारो का हनन होगा व उक्त भुमि के किसी स्पेशिक भाग पर अप्रार्थी द्वारा निर्माण किया गया व कुंआ वगैरह खोदा गया तो बंटवाड़े के समय प्रार्थी के हक अधिकारो पर कुठाराघात होगा व प्रार्थी को नुकसान होगा व अकथनिय क्षति होगी। इस कारण से प्रार्थी के पक्ष मे अस्थाई निषेधाज्ञ जारी करना न्यायसंगत होगा। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादग्रस्त कृषि भुमि पर अप्रार्थी व उसके मित्र एजेन्ट, मजदुर, रिश्तेदार किसी प्रकार का निर्माण नही करे, न ही उक्त वादग्रस्त भुमि को बेचाण किया जाये, न ही टियुबवेल व कुआ खोदा जावे। वाद के निर्णय तक मौके की स्थिति अुनसार कृषि भुमि का यथावत रखा जावें।

2- प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

3- दिनांक 17.02.2020 को अप्रार्थीगण संख्या 01 ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया इसलिये अप्रार्थीगण सख्या 01 का जवाब बंद किया गया।

4- बहस विद्वान अभिवक्ता प्रार्थी की सुनी गई।

5- विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के विरूद्ध अप्रार्थी द्वारा एक वाद श्रीमानके न्यायालय में पूर्व मे पेश किया जा चुका है। उक्त वाद बंटवाड़ा के संबंध मे किया गया है जो वाद विचाराधीन है। वाद वादी द्वारा अप्रार्थी प्रार्थी के विरूद्ध वाद बंटवाड़ा के संबंध मे पेश किया गया है जो मौजा गांव सोवणीया आर.आई. सर्कल खैरवा के खसरा नंबर 48/3 रकबा 45 बीघा किस्म बारानी दोयम उक्त प्रार्थना पत्र की विषय वस्तु है। उक्त कृषि भूमि पर बंटवाड़ा आज दिन तक नहीं हुआ है सुविधा अनुसार कृषि करते है परन्तु उक्त भूमि आधी मुख्य सड़क पर आई हुई है व आधी भुमि सड़क से दुर हैं इस कारण से सड़क पर स्थित भुमि हड़पने की नियम से यह वाद पेश किया गया है जिसका जवाब प्रार्थी द्वारा दिया जा चुका हैं व इसके साथ मे नक्शा भी पेश किया जा चुका है। अप्रार्थीगण अपने बाहुबल व राजनीतिक दबाव प्रभाव की वजह से सड़क की भुमि हड़पने की नियम से वहा पर जमीन को खुर्द बुर्द कर रहा है तथा अप्रार्थी कुआ व टियुबवेल खुदाने पर तुला हुआ है तथा मकान बनाने पर तुला हुआ है इस कारण से उसे बिना बंटवाड़ा किये वादग्रस्त भुमि पर किसी प्रकार से निर्माण करने, खुर्द करने, कुआ खोदने टियुब वेल लगाने से अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा रोकना आवश्यक है। दिनांक 03.04.2019 को अप्रार्थी ने प्रार्थी को धमकी दी की मैं वादग्रस्त भुमि पर मकान बनाउंगा व कुआ खोदुंगा व धोरापाली लगाउंगा एवं जमीन को बेचाण करूंगा। जिस पर प्रार्थी ने कहा कि सड़क पर जमीन सबकी आती है उस पर किसी प्रकार के बिना बंटवाड़ा बेचाण नही करे, न ही खुर्द बुर्द करे न ही किसी प्रकार का निर्माण करें परन्तु अप्रार्थी ने हठधर्मिता

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

से कहा कि मैं नवरात्री के अंदर काम करूंगा तेरे से जो हो वो कर लेना चाहे आप कुछ भी कर लो मैं कुआ, टियुबवेल खोदुंगा व निर्माण करूंगा या जमीन बेच दुंगा। इस कारण से उक्त जमीन के स्पेशिक भाग को नही बेचा जावे न ही उक्त वादग्रस्त भुमि पर निर्माण करे, कुआ व टियुबवेल नही खोदे व जमीन खुर्द बुर्द नही करे इस कारण से अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादग्रस्त कृषि भुमि पर अप्रार्थी व उसके मित्र एजेन्ट, मजदुर, रिश्तेदार किसी प्रकार का निर्माण नही करे, न ही उक्त वादग्रस्त भुमि को बेचाण किया जाये, न ही टियुबवेल व कुआ खोदा जावे। वाद के निर्णय तक मौके की स्थिति अुनसार कृषि भुमि का यथावत रखा जावें।

6- पत्रावली का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन करने के बाद पाया कि उक्त कृषि भूमि पर किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का मकसद ही समाप्त हो जायेंगा।

7- अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधिनिय मे, 1955 का स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि सरहद मौजा ग्राम सोवणीया आर.आई. सर्कल खैरवा के खसरा नंबर 48/3 रकबा 45 बीघा किस्म बारानी दोयम का प्रार्थी एवं अप्रार्थी की कृषि भुमि है। अतः अप्रार्थीगण दखलंदाजी नही करे एवं अन्य से भी नही करावे एवं किसी भी रूप में बेचाण हस्तांतरित, भारयुक्त नही करे एवं मौके एवं रेकर्ड की यथा स्थिती बनाये रखे। उक्त भूमि किसी को भी किसी भी रूप मे बेचाण हस्तांतरित नही करे एवं दखल दस्तंदाजी न तो स्वयं करें न ही अपने किसी एजेन्ट या नौकर चाकर या रिश्तेदार से करावें। पत्रावली फैसल में शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी की जावे।

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

यह आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर दिनांक 28.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2020.03.19 17:46:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: